



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हरवाला, देहरादून – 248001 दूरभाष : 0135-2685124, फ़ैक्स : 0135-2685137,

वेबसाईट : www.uau.ac.in ईमेल : uauexam@gmail.com

पत्रांक संख्या: 1760 /उ0आ0वि0वि0/2019-20

दिनांक : 26 सितम्बर 2019

बेवसाईट विशेष मॉप-अप चरण सम्बन्धित काउन्सिलिंग विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा विशेष मॉप-अप चरण की काउन्सिलिंग का आयोजन किया जायेगा जिसकी समय-सारणी निम्नवत् है :-

क्र०स०	विशेष मॉप-अप चरण सम्बन्धित काउन्सिलिंग की तिथि	कार्यक्रम	अर्ह हेतु पात्रता	संस्थान में प्रवेश की तिथि
01	दिनांक 28.09.2019 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक)	1.समस्त मूल अभिलेखों का सत्यापन 2. पंजीकरण 3. आवेदन शुल्क 4. उपलब्ध सीटों की संख्या कॉलेजवार उपलब्ध/प्रदर्शित की जायेगी।	नीट-2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।	आवंटित संस्थान में प्रवेश की तिथि
02	दिनांक 29.09.2019 (पूर्वाह्न 10:30 बजे से)	काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीटों का आवंटन	उपलब्ध सीटों के आधार पर पंजीकरण अभ्यर्थियों के मेरिट के अनुसार सीटों का आवंटन	30.09.2019

(काउन्सिलिंग स्थल- उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, निकट रेलवे स्टेशन, हरवाला, देहरादून।)

विशेष मॉप-अप चरण-2019 हेतु नियम एवं शर्तें :-

- विशेष मॉप-अप चरण-2019 में काउन्सिलिंग पूर्णतया मैनुवल आयोजित की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होकर काउन्सिलिंग स्थल पर वांछित अभिलेखों/मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना होगा।
- उक्त चरण की काउन्सिलिंग में नये सिरे से पंजीकरण कराया जायेगा। काउन्सिलिंग चरण के माध्यम से पूर्व में परिसर/संस्थानों में प्रवेशित अभ्यर्थी इस काउन्सिलिंग चरण में सम्मिलित नहीं हो सकते। शेष अन्य अभ्यर्थियों (जिन्होंने पूर्व में आवंटित सीटों के सापेक्ष प्रवेश नहीं लिया अथवा काउन्सिलिंग प्रक्रिया में आवेदन किया गया) को इस चरण में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

3. संबन्धित चरण में समस्त सीटें अनारक्षित (UR) श्रेणी की होगी। राज्य कोटे के अभ्यर्थी राज्य अथवा अखिल भारतीय कोटे की सीटों के सापेक्ष प्रवेश ले सकते हैं। अखिल भारतीय कोटे (स्ववित्त पोषित/प्रबन्धकीय कोटा) के अभ्यर्थी अखिल भारतीय कोटे अन्तर्गत ही प्रवेश ले सकते हैं। सीट आवंटन की प्रक्रिया (Combined Merit List) के आधार पर सम्पन्न की आयेगी।
4. प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क के रूप में रूपया 2000/- (दो हजार रूपये मात्र) मूल्य का बैंक ड्राफ्ट (जो की वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून के नाम देय हो) अथवा लेखा अनुभाग में नकद जमा कर प्राप्ति रसीद के साथ निर्धारित प्रपत्र पर पंजीकरण हेतु प्रस्तुत करेंगे। बिना आवेदन शुल्क जमा किये कोई भी अभ्यर्थी इस काउन्सिलिंग चरण में सम्मिलित नहीं होगा तथा आवेदन शुल्क वापस देय नहीं होगा।
5. राज्य के अभ्यर्थी को यदि अखिल भारतीय कोटे (स्ववित्त पोषित/प्रबन्धकीय कोटा) सीट आवंटित होती है तो उसे अखिल भारतीय कोटे की निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
6. उक्त चरण की काउन्सिलिंग में अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों के स्वप्रमाणित 01 छाया-प्रति एवं 05 नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो तथा निम्नलिखित मूल अभिलेख साथ लेकर उपस्थित होना होगा:-
 1. हाई स्कूल एवं इण्टर मिडिएट की मार्कसीट एवं प्रमाण पत्र (उत्तीर्ण)
 2. नीट-2019 प्रवेश पत्र एवं अंक पत्र
 3. जाति प्रमाण पत्र (यदि सामान्य न हो तो)
 4. उपश्रेणी प्रमाण-पत्र
 5. चरित्र प्रमाण-पत्र
 6. कश्मीरी विस्थापित प्रमाण-पत्र (यदि हो तो)
 7. स्थाई निवास एवं मूल निवास प्रमाण-पत्र
 8. पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पैन कार्ड,)
 9. टी0सी0 एवं माग्रेसन


नोडल अधिकारी, काउन्सिलिंग

शुल्क का विवरण निम्नवत्:-



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय UTTARAKHAND AYURVEDA UNIVERSITY

(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(फ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त, भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)
(An Autonomous body of Uttarakhand Government, registered u/s 2(f) of UGC Act, 1956; Member of AIU)
रेलवे रोड़, हरवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) - 248001
Railway Road, Harrawala, Dehradun (UK) - 248001

Phone : +91-135-2685993; Fax : +91-135-2685124; Email : uttarakhandayurved@gmail.com; Website : www.uau.ac.in

संख्या : 1568/उ0आ0वि0/अधि0/शुल्क/2018-19

दिनांक : 12 सितम्बर, 2018

BAMS/BHMS, MS/MD (Ayurved) पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) से संबंधित आवश्यक सूचना

➤ **BAMS, MS/MD (Ayurved) (परिसर कालेजों में राज्य कोटे की सीटों हेतु)**

क्र० सं०	शुल्क विवरण	BAMS हेतु निर्धारित शुल्क (रूपये में)	MS/MD (Ayurved) हेतु निर्धारित शुल्क (रूपये में)	
1	शिक्षण शुल्क	प्रथम वर्ष	60,000	—
		द्वितीय वर्ष	60,000	—
		तृतीय वर्ष	60,000	—
		चतुर्थ वर्ष	60,000	—
		पंचम वर्ष (06 माह)	30,000	—
2	प्रशिक्षण शुल्क	प्रथम वर्ष	—	1,35,000
		द्वितीय वर्ष	—	1,35,000
		तृतीय वर्ष	—	1,35,000
3	प्रवेश शुल्क (प्रतिवर्ष)	5,000	5,000	
4	कासन मनी (रक्षाघन) (केवल प्रवेश के समय)	10,000	10,000	
5	हॉस्टल शुल्क (प्रतिवर्ष)*	12,000	12,000	
6	बिजली शुल्क (प्रतिवर्ष)*	6,000	6,000	

*हॉस्टल उपलब्धता के आधार पर।

➤ **BAMS, MS/MD (Ayurved) (परिसर कालेजों में स्व:वित्त पोषित (Self finance/ All India Quota) कोटे की सीटों हेतु)***

क्र० सं०	शुल्क विवरण	BAMS हेतु निर्धारित शुल्क (रूपये में)	MS/MD (Ayurved) हेतु निर्धारित शुल्क (रूपये में)
1	शिक्षण शुल्क (प्रतिवर्ष)	1,50,000	—
2	प्रशिक्षण शुल्क (प्रतिवर्ष)	—	2,50,000
3	प्रवेश शुल्क (प्रतिवर्ष)	5,000	5,000
4	कासन मनी (रक्षाघन) (केवल प्रवेश के समय)	10,000	10,000
5	हॉस्टल शुल्क (प्रतिवर्ष)	12,000	12,000
6	बिजली शुल्क (प्रतिवर्ष)	6,000	6,000


*नोट : स्व:वित्त पोषित (Self finance/ All India Quota) कोटे की सीटों पर शिक्षण शुल्क को पुनरीक्षित किये जाने संबंधी प्रकरण मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन शुल्क संशोधित किया जा सकता है।

(Handwritten signature)

- **BAMS/ BHMS, MS/MD (Ayurved)** (निजी कालेजों में राज्य कोटे एवं प्रबन्धकीय कोटे/ अखिल भारतीय कोटे (**State Quota & Management Quota/All India Quota**) कोटे की सीटों हेतु)*

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	शुल्क
1	BAMS हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क (रूपये में)	रु० 2,15,000/- प्रतिवर्ष
2	BHMS हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क (रूपये में)	रु० 1,10,000/- प्रतिवर्ष
3	MS/MD (Ayurved) हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क (रूपये में)	रु० 3,15,000/- प्रतिवर्ष

*नोट : निजी आयुर्वेदिक कालेजों में शिक्षण शुल्क को पुनरीक्षित किये जाने संबंधी प्रकरण प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति में विचाराधीन है।


(डॉ० रंजेश कुमार)
प्रभारी कुलसचिव